



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 12.09.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 467/468 भादवि के आरोपी 03 अभियुक्तों को 05 वर्ष के साधारण कारावास एवं प्रत्येक को 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.09.1993 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र पुत्र दिलीप निवासी ग्राम कालाखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.विपिन राज चौहान पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम झक्काकी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 3.बलराम सिंह पुत्र सरजीत सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर 4.राजेन्द्रपाल पुत्र बुद्ध सिंह निवासी मौ0 विश्रोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर 5.शिशुपाल सिंह पुत्र यशपाल निवासी ग्राम पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा धोखाधडी से जालसाजी करते हुए वादी की जमीन की रजिस्ट्री करा ली । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 308/1993 धारा 420/467/468 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । अभियोग के विचारण के दौरान अभियुक्त बलराम व शिशुपाल की मृत्यु हो गयी ।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 12.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 308/1993 धारा 467/468 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र 2.विपिनराज सिंह चौहान व 3.राजेन्द्रपाल को 05 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

- 1.देवेन्द्र पुत्र दिलीप निवासी ग्राम कालाखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.विपिन राज चौहान पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम झक्काकी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.राजेन्द्रपाल पुत्र बुद्ध सिंह निवासी मौ0 विश्रोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 12.09.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 306 भादवि के 03 आरोपी अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.10.2015 को वादी श्री भज्जन सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी अनवरपुर चण्डीका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1- राहुल सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह 2- नपेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह चौहान 3- श्रीमती रामवती उर्फ सिरकन पत्नी महेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण ग्राम अनवरपुर चण्डीका थाना अफजलगढ बिजनौर के विरुद्ध वादी के बेटे पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर प्रताडित करना, जिससे क्षुब्ध होकर वादी के बेटे द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 475/15 धारा 306 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 12.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-02, बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 475/15 धारा 306 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1- राहुल सिंह 2- नपेन्द्र सिंह 3- श्रीमती रामवती उर्फ सिरकन उपरोक्त को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

- 1- राहुल सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम अनवरपुर चण्डीका थाना अफजलगढ बिजनौर।
- 2- नपेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह चौहान नि0 ग्राम अनवरपुर चण्डीका थाना अफजलगढ बिजनौर।
- 3- श्रीमती रामवती उर्फ सिरकन पत्नी महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम अनवरपुर चण्डीका थाना अफजलगढ बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक- 12.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 440/24 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.09.2024 को वादी वरुण कुमार पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी ग्राम सैन्दवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि चांदपुर से सैन्दवार जाते समय रास्ते में अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति वादी से मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी) छीनकर भाग गया । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 440/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्त शानू पुत्र मौ0 अजीज निवासी ग्राम चेहला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही:-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शानू पुत्र मौ0 अजीज निवासी ग्राम चेहला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्त घटना से संबंधित छीने गए मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्पैलेन्डर रजि0 नं0 UP20BB2240 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शानू पुत्र मौ0 अजीज निवासी ग्राम चेहला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण

1. छीना गया मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी)
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्पैलेन्डर रजि0 नं0 UP20BB2240

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1154 चरणदास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 2070 मोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 12.09.2024

थाना धामपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किया गया बकरा व घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.09.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर अभियुक्तगण विपिन कुमार पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर आदि 02 नफर द्वारा वादिनी के घर से एक बकरा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 438/2024 धारा 305 बीएनएस बनाम उपरोक्त पंजीकृत कराया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 12.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.विपिन कुमार पुत्र योगेन्द्र 2.सीताराम पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी किया गया बकरा व घटना में प्रयुक्त टाटा पंच गाडी (रंग सफेद) रजि0नं0 UP20CP4163 बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.विपिन कुमार पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.सीताराम पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सरकडा चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक बकरा काला व सफेद

टाटा पंच गाडी (रंग सफेद) रजि0नं0 UP20CP4163

अभियुक्त विपिन का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 51/2017 धारा 195/195ए/420/467/469/471/120बी/272/273/504/506 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 438/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 195 लालमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 170 विकास कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 12.09.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 326/24 धारा 75/79/352 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(5)(क) एससी/एसटी से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.09.2024 को वादी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त नईम पुत्र अमीनुद्दीन निवासी ग्राम दुगरी थाना नहतौर जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूल जाते समय वादी की पुत्री व अन्य लडकियों के साथ छेडछाड की गई ।

तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 326/24 धारा 75/79/352 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(5)(क) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त नईम पुत्र अमीनुद्दीन निवासी ग्राम दुगरी थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नईम पुत्र अमीनुद्दीन निवासी ग्राम दुगरी थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.सीसी 1487 रघुवीर सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2.हो0गा0 1461 ऋषिराम थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 12.09.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	स्योहारा	ओमकार पुत्र हरी सिंह नि० ग्राम शाहपुर हर्दा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2	स्योहारा	राजवीर पुत्र रमेश निवासी ग्राम मिलक बेनीराम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3	धामपुर	हरपाल सिंह पुत्र गुन्नू सिंह निवासी ग्राम खढाना थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4	धामपुर	अशरफ पुत्र याकूब निवासी ग्राम किरारखेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5	नगीना	नौशाद पुत्र इम्मी कुरेशी निवासी मौ० पहाडी दरवाजा थाना नगीना, बिजनौर
6	अफजलगढ	दिलशाद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम मेहंदीपुर थाना गंगनहर जनपद हरिद्वार



थाना स्योहारा



थाना नहतौर



थाना नगीना



थाना अफजलगढ



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 12.09.2024

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 327/24 धारा 331(3)/305(ए) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.09.2024 को वादिनी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके घर की अलमारी में रखे आभूषण व नगदी चोरी कर ली गई ।

तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 327/24 धारा 331(3)/305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्त आकाश पुत्र सुभाष निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही:-

आज दिनांक 12.09.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र सुभाष निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को सफेद धातु की 2 पैंडल (मंगलसूत्र), 1600/- रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आकाश पुत्र सुभाष निवासी मौ0 जोशियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

सफेद धातु की 2 पैंडल (मंगलसूत्र), 1600/- रुपये की नगदी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री भारत सिंह, थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
2. हे0का0 584 संदीप कुमार, थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
3. का0 695 नवीन कुमार, थाना नहतौर जनपद बिजनौर,
4. का0 749 राजदीप, थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 12.09.2024

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 242/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजारामपुर के जंगल में नरेश कुमार के खेत से 25 किलोग्राम गौवंशीय खाल व गौवध में प्रयुक्त छुरी बरामद की गयी । घटना मे संलिप्त अभियुक्तगण मौका पाकर फरार हो गये थे । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया ।



अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.असलम पुत्र अहसान 2.नसीम पुत्र रफीक अहमद 3.जावेद पुत्र अनीस 4.मकबूल उर्फ काले पुत्र रसीद 5.सलमान पुत्र उस्मान 6.फैय्याज पुत्र अनीस अहमद समस्त निवासीगण ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये । 10.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.असलम व 2.नसीम को पशु कटान के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 12.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मकबूल उर्फ काले पुत्र रसीद निवासी राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

मकबूल उर्फ काले पुत्र रसीद निवासी राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1181 हरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1256 विपिन तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चाँदपुर

दिनांक- 12.09.2024

थाना चाँदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 377/2024 धारा 109/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.07.2024 को वादी अय्युब खां पुत्र श्री अब्दुल गफूर निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चाँदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण नजीद पुत्र तौकीद निवासी ग्राम कुन्डा खुर्द थाना नूरपुर व अनीस पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के भतीजे के साथ गाली-गलौंच करते हुए मारपीट की गयी तथा वादी के भतीजे के ऊपर जान से मारने की नीयत से नुकीली चाबी से वार कर घायल कर दिया गया ।



इस संबंध में थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 377/2024 धारा 109/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

आज दिनांक 12.09.2024 को थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनीस पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त नुकीली चाबी सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनीस पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त नुकीली चाबी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तैवतिया थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2341 मौ0 सिराज थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।